



उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

गुरुवार, 25 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 15 जून, 2017)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी “क”)
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी “ख”)
3. निधन के निदेश।
4. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा-18 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा 2015-16 (वर्ष 2014-15 सहित) के लिए वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनार्यें, यदि कोई हों।
6. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा “जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत कारगिल शहीद के ग्राम लखेड़ी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री बख्तार सिंह, ग्राम लखेड़ी, विकासखण्ड गैरसैंण, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा “जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत स्यूणी तल्ली तक सड़क निर्माण सम्बन्ध में” श्री चन्द्र सिंह परसारा, ग्राम स्यूणी तल्ली, विकासखण्ड गैरसैंण, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा “जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत मालकोट-तिवाखर्क, मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्री बचन सिंह बिष्ट, ग्राम तिवाखर्क ग्राम पंचायत कालीमाटी, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा “जनपद अल्मोड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुशिया चौन के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री हर सिंह रावत ग्राम-कुशिया चौन पोस्ट-बवाड़ी किचर जिला अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा “जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में ग्राम दफोट तथा स्यालडोबा, में एलोपैथिक चिकित्सालय की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में” श्री खड़क सिंह दफोटी, ग्राम नायल पो0 दफोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
11. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा “जनपद बागेश्वर के ग्राम भटखोला में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री नवल किशोर भट्ट, ग्राम-भटखोला पो0-छानी, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
12. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा “जनपद बागेश्वर के बागेश्वर नगर में बढ़ती हुई जाम की समस्या से निपटने के लिए बागेश्वर में पार्किंग की व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में” श्री प्रकाश लाल शाह, ग्राम मोहल्ला-ठाकुरद्वारा पो0 बागेश्वर जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
13. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा “जनपद बागेश्वर, के ग्राम-मण्डलसेरा में ट्यूबवैल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री शेर सिंह मलड़ा, ग्राम व पो0 मण्डलसेरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
14. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा “ जनपद बागेश्वर के ग्राम-घौनाई स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के सम्बन्ध में” श्री मंगल सिंह राणा, ग्राम -कोटतुलारी पो0- घौनाई, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
15. श्री चन्दन रामदास, सदस्य, विधान सभा “जनपद बागेश्वर के ग्राम-असौं, तरमोली,मल्लाकोट पेयजल पम्पिंग योजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में” श्री गोविन्द सिंह असवाल, ग्राम व पो0-असौं, जनपद बागेश्वर, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
16. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा “जनपद बागेश्वर के ग्राम-गलई, पो0-कन्धार, में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्धार का इण्टर में उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में” कै0 कुन्दन सिंह कबडोला, ग्राम-गलई पो0-कन्धार, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
17. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा “जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत जौलकाण्डे व गिरेछीना को विशेष पर्यटन सर्किट से जोड़ने के सम्बन्ध में” श्री अशोक लौहरी, ग्राम-जौलकाण्डे व पो0-अमसरकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
18. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा “जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम-देबलधार, में टी0आर0सी0 खोले जाने के सम्बन्ध में” श्री शान्ति लाल, ग्राम-गौलाआगर व पो0-देबलधार, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

19. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा “जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में रोठिया जवाड़ी पेयजल योजना का निर्माण करने के सम्बन्ध में” श्री मन मोहन सिधवाल, ग्राम पो0 रोठिया, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
20. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा “जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त मुनि के धोलतीर कोठगी मोटर पुल के निर्माण करने के सम्बन्ध में” श्री अरुण चौधरी, ग्राम पो0 नगरासू, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
21. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा “जनपद रुद्रप्रयाग के नगरासू धोलतीर में 33 के0बी0 ए0 सब स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री विनोद राणा, ग्राम पो0 धोलतीर, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
22. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा “जनपद रुद्रप्रयाग के बच्छणस्यूं में 33 के0बी0 ए0 सब स्टेशन के निर्माण हेतु धनराशी आवंटित करने के सम्बन्ध में” श्री नरेन्द्र, ग्राम पो0 बाड़ा, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
23. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा “जनपद रुद्रप्रयाग के मयाली -भीरी-गुप्तकाशी मोटर मार्ग का सुदृढीकरण/डामरीकरण करने के सम्बन्ध में” श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्राम पो0 लालूडी, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
24. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा “जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्तमुनी के रा0 इ0 का0 जसोली के भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में” श्री जितेन्द्र सिंह, ग्राम पो0 जसोली, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
25. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा “जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्तमुनी के रा0 उ0मा0वि0 तूना का इन्टर स्तर पर उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में” श्री मोहन सिंह, ग्राम तूना पो0, सुमेरपुर जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
26. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा “जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के सुमाड़ी भरदार में आर0बी0 एफ0 (रिवर बैंक फिल्ट्रेशन) पेयजल योजना निर्माण के सम्बन्ध में” श्री लक्ष्मी प्रसाद, ग्राम व पो0, सुमाड़ी, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
27. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा “जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के गोरपा-सिरवाड़ा-कुरखेला मोटर-मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में” श्री सज्जन सिंह, ग्राम पूलन, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
28. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा “जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण के सम्बन्ध में” श्री सुरेन्द्र रावत, ग्राम व पो0 रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

29. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम पाबौ, वि० ख० अगस्त्यमुनि, पीड़ा-पाबौ, मोटर-मार्ग पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में” श्री राकेश मोहन, ग्राम पाबौ, वि० ख० अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
30. श्री गणेश जोशी, सदस्य, विधान सभा “जनपद देहरादून के ग्राम-पंचायत सेरागांव के अन्तर्गत रा०प्रा०वि० चौकी चुंगी चामासारी के छतिग्रस्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री कृपाल जवाड़ी रतन, ग्राम-सेरागांव, पो०-सहस्त्रधारा, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
31. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा “जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत महलचौरी-सिलंमा प्रस्तावित मोटर-मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में” श्री राजेन्द्र सिंह शाह, ग्रामसभा-सिलंमा, वि० ख० गैरसैण, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
32. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा “जनपद रुद्रप्रयाग के वि० ख० जखोली में आपदा पीडित ग्राम-पाजंणा के पुनर्वास के सम्बन्ध में” श्री धन पाल, ग्राम व पो० पाजंणा, वि०ख० जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
33. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
34. नियम 315 के खण्ड (13) व(14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
35. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
36. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
- (कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-“ग”)
37. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
38. वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक की अनुदानों पर मांग, चर्चा एवं मतदान :-
- (1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 284946 हजार (रुपये अठ्ठाईस करोड़ उनचास लाख छियालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

- (2) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 569067 हजार (रुपये छप्पन करोड़ नब्बे लाख सड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (3) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 956089 हजार (रुपये पंचानवे करोड़ साठ लाख नवासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (4) राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 12912187 हजार (रुपये एक हजार दो सौ इक्क्यानवे करोड़ इक्कीस लाख सत्तासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (5) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 45573 हजार (रुपये चार करोड़ पचपन लाख तिहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (6) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 7263767 हजार (रुपये सात सौ छब्बीस करोड़ सैंतीस लाख सड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (7) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 11397526 हजार (रुपये एक हजार एक सौ उन्तालीस करोड़ पचहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (8) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 301171 हजार (रुपये तीस करोड़ ग्यारह लाख ईकहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (9) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 9259829 हजार (रुपये नौ सौ पच्चीस करोड़ अठ्ठानवे लाख उन्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (10) ग्राम्य विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 14544123 हजार (रुपये एक हजार चार सौ चौवन करोड़ इक्तालीस लाख तेईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (11) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 927232 हजार (रुपये बयानवे करोड़ बहत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (12) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 11766727 हजार (रुपये एक हजार एक सौ छिहत्तर करोड़ सइसठ लाख सत्ताईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (13) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1561681 हजार (रुपये एक सौ छप्पन करोड़ सोलह लाख इक्कासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (14) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1664047 हजार (रुपये एक सौ छियासठ करोड़ चालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

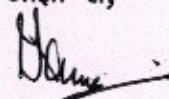
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

39. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
40. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करेंगे।
41. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।
42. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2017 पारित किया जाय।
43. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) (निरसन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। (10 मिनट)
44. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) (निरसन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।
45. आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 पर विचार किया जाय। (10 मिनट)
46. आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 पारित किया जाय।
47. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
48. जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत धारी ब्लाक के धारी-कौल धानाचूली मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13 जून, 2017 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
49. विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में लागू किये गये स्थानीय विकास प्राधिकरण को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13 जून, 2017 को दी गई सूचना पर माननीय आवास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

देहरादून :

दिनांक : 14 जून, 2017

आज्ञा से,



(जगदीश चन्द्र)

सचिव।



उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

द्वितीय गुरुवार, 25 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 15 जून, 2017)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
29.05.2017

** क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट का करेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दर कितनी है? क्या मंत्री अवगत है, कि देश की राजधानी दिल्ली में सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी को 9,724/-प्रतिमाह (374/-प्रतिदिन) से बढ़ाकर 13,350/-प्रतिमाह (512/-प्रतिदिन) कर दिया है, जो हमारे राज्य से बहुत अधिक है? क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि दिल्ली व उत्तराखण्ड दोनों राज्यों में महंगाई लगभग एक समान बढ़ रही है और कम वेतन में गुजारा करना अत्यधिक कठिन है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी दर को शीघ्र बढ़ायेगी या दिल्ली राज्य के समान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम

श्री प्रीतम सिंह पंवार
30.05.2017

** क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में छात्रवृत्तियों के फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं? क्या सरकार ऐसे फर्जीवाड़ा करने में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाई करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल
17.05.2017

*1 क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए प्रारम्भिक तैयारी हेतु प्रदेश में विशेषकर जनपद उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, चम्पावत, अल्मोड़ा, नैनीताल में विद्यमान विद्यालय/विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था, कम्प्यूटर की शिक्षा निःशुल्क रूप से दिये जाने पर विचार किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा

श्री प्रीतम सिंह पंवार
22.05.2017

*2 क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के पर्वतीय जनपदों में खेलों के प्रोत्साहन हेतु गाँवों में मिनी स्टेडियम निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो वह क्या है और उस योजना का क्रियान्वयन कब से किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

श्री देशराज कर्णवाल
22.05.2017

*3 क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत के संविधान के अनु0 21-क शिक्षा का अधिकार तथा उसके अन्तर्गत बने एक्ट के क्रम में 6 वर्ष से 14 वर्ष के कुल कितने बच्चों को उत्तराखण्ड में प्रवेश दिया गया? ऐसे कितने पब्लिक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल/कॉलेज हैं जहाँ यह सुविधा नहीं दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इन स्कूलों/कॉलेजों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री महेन्द्र भट्ट
23.05.2017

विविध विभागों के आधार पर निरस्त।

*4 क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में प्रशिक्षित गुरिल्लाओं की कुल कितनी संख्या है? क्या राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में इनके प्रशिक्षण का लाभ लेते हुए जैसे होमगार्ड्स, अग्नि शमन या दैवीय आपदा में सेवा लेने पर कोई विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

श्री प्रीतम सिंह
25.05.2017

मा0 आश्वासन समिति के समक्ष विचाराधीन होने के आधार
पर निरस्त।

पंचायतीराज

*5 क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को संविधान प्रदत्त प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार दिये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
25.05.2017

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

शिक्षा

*6 क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि प्रदेश के सभी पर्वतीय जिलों के इण्टर कॉलेजों व विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण वहाँ शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसके लिए कोई नीति बनाकर शिक्षकों की उचित व्यवस्था कर शिक्षा के स्तर को सुधारते हुए विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री खजान दास
26.05.2017

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

शिक्षा

*7 क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कब से तथा जनपद/विद्यालय वार उक्त अधिनियम के लागू होने से अब तक अध्ययनरत् छात्रों की वर्षवार सूची एवं किन विद्यालयों में इसका पालन हो रहा है का विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

अतारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल
18.05.2017

1. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पी0आर0डी0 के जवानों को 365 दिन की सेवायें किस प्रकार से सेवायोजित कर अमल में लाई जायेंगी? क्या यह सत्य है कि कई पी0आर0डी0 के नौजवान साल में 10-15 दिन ही रोजगार पाते हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में शासन की सुधारात्मक प्रक्रिया क्या होने वाली है?

युवा कल्याण

श्री प्रीतम सिंह पंवार
19.05.2017

2. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय कमान्द के भवन का निर्माण कब तक करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा

श्री महेन्द्र भट्ट 19.05.2017	3. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों में विकलांग छात्रों के लिए क्षैतिज आरक्षण की कोई व्यवस्था है? यदि हाँ, तो बी0एड0, टी0ई0टी0 प्रशिक्षितों को इसका लाभ दिया गया? यदि नहीं, तो सरकार विकलांग बी0एड0, टी0ई0टी0 प्रशिक्षितों को क्षैतिज आरक्षण देने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री महेन्द्र भट्ट 22.05.2017	4. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर (चमोली) में राज्य पोषित एवं स्व वित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम दोनों ही संचालित किए जा रहे हैं? क्या सरकार स्व वित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम को वित्त पोषित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री महेन्द्र भट्ट 22.05.2017	5. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के स्नात्कोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, तथा अंग्रेजी विषय वर्ग में रिक्त पदों में प्रवक्ताओं/अध्यापकों की नियुक्ति करने पर क्या सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री महेन्द्र भट्ट 22.05.2017	6. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के राजकीय महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में राजकीय बी0एड0 संकाय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक संकाय खुलेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 22.05.2017	7. क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2016-17 में विभाग के द्वारा दुग्ध डेयरी केन्द्रों से दूध व दूध पदार्थों की बिक्री से कुल कितनी धनराशि की आय हुई और इस वित्तीय वर्ष में कुल कितना सकल व्यय हुआ है? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल व्यय के सापेक्ष कुल कितनी आय हुई? यदि नहीं, तो क्यों?	दुग्ध विकास
श्री महेन्द्र भट्ट 23.05.2017	8. क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि वर्ष 2012 से सर्व शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का वेतन समय पर जारी नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो सरकार वेतन नियमित रूप से देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

श्री महेन्द्र भट्ट 24.05.2017	9. क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद चमोली के ग्राम पंचायत मेरग का प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माणाधीन है? यदि हाँ, तो उक्त भवन का निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह 24.05.2017	10. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोलने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह 24.05.2017	11. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत क्वांसी में स्वीकृत महाविद्यालय में शिक्षण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री राजेश शुक्ला 25.05.2017	12. क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि किच्छा विधान सभा में एक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना का कोई निर्णय सरकार लेने जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो इतनी बड़ी आबादी के छात्रों का भविष्य अन्धकार में जाने से कौन बचायेगा?	उच्च शिक्षा
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 25.05.2017	विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त। 13. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जितने राजकीय इण्टर कालेज है उनका जिलेवार विवरण देने का कष्ट करेंगे? क्या मंत्री जी इन राजकीय इण्टर कालेजों में नियुक्त शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों का भी कॉलेजवार विवरण देंगे?	शिक्षा
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 25.05.2017	14. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्रा0पा0 में कितनी छात्र संख्या पर कितने शिक्षकों का मानक है? क्या सभी विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक नियुक्त है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने ऐसे विद्यालय है जहाँ, 20 से कम छात्र संख्या पर 2 से अधिक शिक्षक है?	शिक्षा
श्री देशराज कर्णवाल 26.05.2017	15. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में कितने ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने राज्य, राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय खेलों में भाग लिया है और किन खिलाड़ियों ने इन स्तरों पर पुरस्कार जीते है कि कुल संख्या कितनी है? खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई, इनमें से विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा में कितने ऐसे मामले है?	खेल

श्री महन्त दलीप सिंह
रावत
26.05.2017

16. क्या युवा कल्याण मंत्री अवगत है कि युवा कल्याण विभाग में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विभाग के कनिष्ठतम कार्मिकों को प्रदेश में रिक्त युवा कल्याण अधिकारियों के पदों का कार्यभार सौंपा गया है? यदि हाँ, तो क्या यह नियम संगत था? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जाँच कर इसमें संलिप्त अधिकारियों की जाँच कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी? क्या सरकार नियमानुसार युवा कल्याण विभाग में रिक्त युवा कल्याण अधिकारियों के पदों पर प्रदेश के वरिष्ठतम कार्मिकों को प्रभार सौंपेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

श्री चन्दन राम दास
26.05.2017

17. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या राजीवगांधी नवोदय विद्यालय बागेश्वर के भवन निर्माण की कोई योजना है? यदि हाँ, तो विद्यालय के नाम कितनी भूमि है, तथा उसका अद्यतन स्थिति क्या है? भविष्य में कब तक विद्यालय के भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री देशराज कर्णवाल
26.05.2017

18. क्या युवा कल्याण मंत्री अवगत है कि प्रान्तीय रक्षा दल (पीआरडी) के जवानों की सेवानिवृत्ति आयु पचास वर्ष रखी गई है जबकि उत्तर प्रदेश में यह साठ वर्ष है क्या सरकार इसको संशोधित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

‘नत्थी-ग’

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 जून, 2017 के उपवेशन में दिनांक 15 जून, 2017
कार्यक्रम निम्न रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

15 जून, 2017

विधायी कार्य:-

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 पर विचार एवं पारण (10 मिनट)

(शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगा)

नत्थी- “घ”

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अनुदान मांगों में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या:- 06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, 10-पुलिस एवं जेल विभाग, 12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, 14-सूचना विकास विभाग, 15- कल्याण योजना सम्बद्ध विभाग, 19-ग्राम्य विकास विभाग, 21-ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, 22-लोक निर्माण विभाग, 23-उद्योग विभाग, 25-खाद्य विभाग।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क)	
1. डा0 इन्दिरा हृदयेश	
2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल	
3. काजी निजामुद्दीन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
4. श्री करन माहरा	
5. श्री हरीश सिंह	
6. हाजी फुरकान अहमद	
7. श्रीमती ममता राकेश	
8. श्री राजकुमार	-तदैव-
9. श्री आदेश सिंह चौहान।	
(ख)	
1. श्री प्रीतम सिंह पंवार	